कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़ ।

E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com; Fax/☎ 05964-225234

पत्रॉकः– 5968 /12–1 दिनांक, पिथौरागढ़, 24, मार्च, 2025।

946
01/4/25
22 खाता

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः– जनपद पिथौरागढ़ में माननीय मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र पिथौरागढ़ के अन्तर्गत जाजरदेवल मूलागाड़ (केली सेली) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.9 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– आपका पत्रांक संख्या–2019/12–1 दिनांक 10.02.2025

महोदय,

उपरोक्त विषयक क्रम में अवगत कराना है कि विषयगत प्रकरण में इस कार्यालय की पत्र संख्या 7891/12–1 दिनांक 30.05.2024 द्वारा पूर्व में सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की अनुपालन आख्या प्रेषित की गयी थी, जिसमें वर्तमान तक विधिवत स्वीकृति प्राप्त नहीं हुयी है।

अतः सुलभ सन्दर्भ हेतु उक्त अनुपालन आख्या की छायाप्रति पुनः सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

~~संलग्न–यथोक्त।~~ X

भवदीय,

(आशुतोष सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग,पिथौरागढ़।

संख्याः– 5968 /12–1 दिनांकित।

प्रतिलिपि – अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग पिथौरागढ को उपरोक्त के क्रम में इस आशय से प्रेषित कि अनुपालन आख्या ऑनलाइन पोर्टल में अपलोड़ करना सुनिश्चित करें।

(आशुतोष सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

AE II / अभि० 1/4/24
01/04/2025

अभि० / सतीश बेलवाल (JE)
आवश्यक कार्यवाही करें

3/4/25
AE

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com Fax & ☎ 05964- 225234

पत्रॉकः 7891 /12–1 दिनांक, पिथौरागढ़, 30, मई, 2024।

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषयः– जनपद पिथौरागढ में मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अर्न्तगत विधानसभा क्षेत्र पिथौरागढ़ के अर्न्तगत जाजरदेवल मूलागाड़ कैली–सैली मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 0.9 हे0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 741/X –3–21/1(76)/2021 दिनांक 02–07–2021।

महोदय,

उपरोक्त विषयक भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र के कम में सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की अनुपालन आख्या निम्नवत प्रेषित है–

क्रम सं0	अधिरोपित शर्त	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पडे स्थानो पर नियमानुसार वृक्षारोपण एंव 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जाएगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा मार्ग की आस पास रिक्त पडे स्थानो पर यथोचित वृक्षारोपण एंव 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि रु0 1,46,400.00 मात्र जमा कर चालान रसीद उपलब्ध कराया गया है। (प्रति संलग्न)
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0स0 –566 एंव भारत सरकार पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05–02–2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0स0 –566 एंव भारत सरकार पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05–02–2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित धनराशि रु0 5,91,300.00 मात्र जमा कर चालान रसीद संलग्न कर प्रेषित की गयी है।
3	प्रयोक्ता अभिकारण इस आश्य का बचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी की दर से बढोत्तरी होती है तो वढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है। (प्रपत्र संलग्न)
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र संख्या –05–03/2007–एफ0सी0 दिनांक 05–02–2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन0पी0वी0 तथा दूसरी सभी निधियॉ प्रतिपूर्ति पौधरोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा सं0 एस0बी0 –25229 कार्पोरेशन बैक (भारत सरकार का उपक्रम) ब्लॉक –11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स फेज–01 लोधी रोड नई दिल्ली 110003 में जमा करने के उपरान्त ही पावती की छायाप्रति, जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चेक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के सन्दर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस–पास वृक्षारोपण तथा अन्य देय धनराशियों का विवरण दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा एन0पी0वी0 तथा प्रस्तावित स्थल के आस पास वृक्षारोपण हेतु जमा की गई धनराशि की पावती की छाया प्रति व ड्राफ्ट की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित है।

5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एंव भू –वैज्ञानिक के सुझावो का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।	भू –वैज्ञानिक की शर्ते मान्य होने का प्रमाण पत्र संलग्न है।
6	प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखो / प्रमाण पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।	प्रपत्र संलग्न।
7	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नही होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार , पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
8	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जायेगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नही होगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
9	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेडों की कटाई को न्यूनतम कर देगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार दिये गये वृक्षों की संख्या से अधिक नही होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगें। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेडो़ की कटाई की लागत जमा की जायेगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
10	उपरोक्त शर्तो के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।

संलग्नः– यथोक्त।

अतः प्रकरण में विधिवत स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु प्रकरण अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

भवदीय,

(आशुतोष सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

पत्रांकः– 7891 /12–1 दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, देहरादून।
2. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, पिथौरागढ़।

(आशुतोष सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

NEFT R

NK COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 24-11-2023

Agency Name.	PUBLIC WORK DEPARTMENT
Application No.	6155006278
MoEF/SG File No.	1(76)/21
Location.	UTTARANCHAL
Address:	PD PWD PITHORAGARH GHANTAKARAN DISTT PITHORAGARH 262501 Pithoragarh
Amount(in Rs)	737700/-

Amount in Words :Seven Lakh Thirty-Seven Thousand Seven Hundred Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150896155006278 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

llan, if the payment status has not been updated your challan with transaction date and reference unionbankofindia.bank,

cheque No- 953305
Date 14.12.2023

संख्याः 741 /X-3-21/1(76)/2021

प्रेषक,

विजय कुमार यादव,
सचिव (प्रभारी),
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन भूमि हस्तान्तरण, इन्दिरानगर, फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

वन अनुभाग–3 देहरादूनः दिनांकः 02 जुलाई ~~जून~~, 2021

विषयः जनपद पिथौरागढ़ में माननीय मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र पिथौरागढ़ के अन्तर्गत जाजरदेवल मूलागाड़ केली (सेली) मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 0.9 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–2729/FP/UK/ROAD/55006/2020, दिनांक 04 मई 2021 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जनपद पिथौरागढ़ में माननीय मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र पिथौरागढ़ के अन्तर्गत जाजरदेवल मूलागाड़ केली (सेली) मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 0.9 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने की सैद्धान्तिक स्वीकृति, भारत सरकार द्वारा मार्च 201 अन्तर्गत मार्ग निर्देशिका के प्रस्तर 4.1 एवं 4.3 में दिये गये दिशा–निर्देश के क्रम में निहित प्रावधानों द्वारा प्रदत्त प्राधिकार का प्रयोग करते हुए अद्योलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:–

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर नियमानुसार वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जाएगी।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अंतर्गत आई0ए0सं0–566 एवं भारत सरकार पत्र सं0–5–3/2007 एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
3. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र सं0 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन0पी0वी0 तथा दूसरी सभी निधि प्रतिपूर्ति पौधरोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा सं0–एस0बी0–25229 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक–11 भूतल, सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज–1, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 में जमा करने के उपरान्त ही पावती की छायाप्रति, जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चेक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के सन्दर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस

5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
6. प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों /प्रमाण-पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।
7. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
8. प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वनिर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जायेंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।
9. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार दिये गये वृक्षों की संख्या से अधिक नही होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगें। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।
10. उपरोक्त शर्तो के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।

भवदीय,

(विजय कुमार यादव)
सचिव (प्रभारी)।

संख्या: (1)/X-3-21/1(76)/2021, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, 25 सुभाष रोड, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा।
4. जिलाधिकारी, जनपद-पिथौरागढ।
5. प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ वन प्रभाग, पिथौरागढ।
6. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, पिथौरागढ।
7. गार्ड फाईल।

(विजय कुमार यादव)
सचिव (प्रभारी)।

(5)

प्रारुप–30.3

ा विवरण :– माननीय मु0मं0 घोषणा के अंतर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ़ के अंतर्गत ल मूलागाड़ केली (सेली) मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

कार्यालय जिलाधिकारी, पिथौरागढ़
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र
जिला स्तरीय समिति, पिथौरागढ़

माननीय मु0मं0 घोषणा के अंतर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ़ के अंतर्गत जाजरदेवल मूलागाड़ ली) मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य (**0.00** हे0 आरक्षित वन भूमि, **0.90** हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि, 0.00 हे0 यत भूमि, अर्थात कुल 0.90 हे0 वन भूमि) का **प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग पिथौरागढ़** प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष न्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 र्गत जिला स्तरीय समिति, (तहसील पिथौरागढ़) की दिनांक 07/11/2020 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 र्गत जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक **श्री विजय कुमार जोगदंडे जिलाधिकारी** एवं अध्यक्ष जिला स्तरीय वन समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

विजय कुमार जोगदंडे जिलाधिकारी पिथौरागढ अध्यक्ष
विनय कुमार भार्गव प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ सदस्य
ाति गंगोत्री दताल ग्राम दांतू पो0 जौलजीबी, धारचूला जिला पंचायत सदस्य
सूरेश जेठा ग्राम सुवा पो0आ0– धारचूला जिला पंचायत सदस्य
ाती पुषा देवी ग्राम चामी भैंसकोट विकास खण्ड मुनस्यारी जिला पंचायत सदस्य
~~विद्यासागर कापड़ी~~ –जिला समाज कल्याण अधिकारी पिथौरागढ सदस्य/सचिव

जिला सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए जिलाधिकारी की अनुमति बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की ाननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि माननीय मु0मं0 घोषणा के अंतर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र ाढ़ के अंतर्गत जाजरदेवल मूलागाड़ केली (सेली) मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य परियोजना हेतु **0.90** हे0 वन भूमि **प्रान्तीय लोक निर्माण विभाग पिथौरागढ़** प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन ों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया । इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में जिला स्तरीय वन अधिकार द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से माननीय माननीय मु0मं0 घोषणा के अंतर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ़ के जाजरदेवल मूलागाड़ केली (सेली) मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य परियोजना के निर्माण हेतु 0.90 हे0 वन भूमि **प्रान्तीय लोक निर्माण विभाग पिथौरागढ़** प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने मति व्यक्त की गयी।

ः प्रकरण में जिला स्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

धारचूला जिला पंचायत सदस्य	मुनस्यारी जिला पंचायत सदस्य	जौलजीबी धारचूला जिला पं0 सदस्य
जिला पंचायत खेला 02 धारचूला (पिथौरागढ़)	पुष्पा देवी जिला पंचायत सदस्य 09 नाचनी, पिथौरागढ़	श्रीमती गंगोत्री दताल सदस्य जिला पंचायत मेतली (पिथौरागढ़)
प्रभागीय वनाधिकारी	समाज कल्याण अधिकारी	जिलाधिकारी पिथौरागढ़

⑥

प्रारुप–30

ोकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1

(for linear projects)

nent of Uttarakhand Office of the District Collector Pithoragarh

75

Dated 27/11/2020

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

omplinance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's o 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on ion of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights e Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights))6 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes th MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in of linear projects, it is certified that **0.900** hectares of forest land proposed to be diverted r of **Public Work Department** for in **Pithoragarh** district falls within jurisdiction of **a, Mulagarh, Garhan** village (s) in **Bin (Pithoragarh)** tehsils.

her certified that:

the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the **entire 0.900** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ...to ...annexure....

the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

the proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

s above.

जिलाधिकारी Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

(7)

प्रारूप–30.1

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT PITHORAGARH (U.K.)

Proceeding of the meeting of thc district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of **Pithoragarh** district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr/Mrs/Miss Dr. Vijay Kumar Jogdande.. I.A.S deputy commissioner,. .Pithoragarh on dated 07.11.2020 at time ...1:00....at ...P.M... in which application claiming rights in P.D. PWD Pithoragarh area measuring 0.90 hect for the construction of Tajandeval To Mulagarh Motor Road forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub divition level committee of Pithoragarh sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place;..Pithoragarh
Dated:.07/11/2020

Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committe

प्रारुप--30.2

रियोजना का नाम :– माननीय मु0मं0 घोषणा के अंतर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ़ के अंतर्गत जाजरदेवल मूलागाड़ केली (सेली) मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, पिथौरागढ़
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, पिथौरागढ़

उपखण्ड पिथौरागढ़ परिक्षेत्र के अन्तर्गत माननीय मु0मं0 घोषणा के अंतर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ़ के अंतर्गत जाजरदेवल मूलागाड़ केली (सेली) मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य (शून्य हे0 आरक्षित वन भूमि, **0.90** हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि ,**शून्य** हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल **0.90** हे0 वन भूमि) का **प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग पिथौरागढ** प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील पिथौरागढ़) की दिनांक 16.10.2020 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक **श्री तुषार सैनी**, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री **तुषार सैनी** उपजिलाधिकारी पिथौरागढ़ अध्यक्ष
2– श्री नवीन चन्द्र पन्त ——उप प्रभागीय वनाधिकारी ——————सदस्य
3– श्री ह० (हस्ताक्षर) ——सहायक समाज कल्याण अधिकारी————सदस्य/सचिव
4– श्रीमती रेनू भट्ट पत्नि श्री अशोक भट्ट बी0डी0सी0 क्षेत्र **सोनगॉव** सदस्य
5– श्री शुभम चन्द पुत्र श्री शिव राज चन्द बी0डी0सी0 क्षेत्र **मूनाकोट** सदस्य
6– श्री राजेन्द्र सिंह गोबाड़ी पुत्र श्री लाल सिंह बी0डी0सी0 क्षेत्र **रज्यूड़ा** सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि माननीय मु0मं0 घोषणा के अंतर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ़ के अंतर्गत जाजरदेवल मूलागाड़ केली (सेली) मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य परियोजना हेतु **0.90** हे0 वन भूमि **प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग पिथौरागढ़** प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड पिथौरागढ परिक्षेत्र के अन्तर्गत माननीय मु0मं0 घोषणा के अंतर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ़ के अंतर्गत जाजरदेवल मूलागाड़ केली (सेली) मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य परियोजना के निर्माण हेतु 0.90 हे0 वन भूमि **प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग** प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अक्ष्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
जनपद– पिथौरागढ

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अक्ष्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
जनपद– पिथौरागढ

राजेन्द्र सिंह
सदस्य
क्षेत्र पंचायत रज्यूड़ा

(1)

प्रारुप–30.3

रियोजना का नाम :– मु0मं0 घोषणा के अंतर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ़ के अंतर्गत जाजरदेवल मूलागाड़ केली (सेली) मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र
ग्राम पंचायत का नाम ...सल्नोड़ा...............
तहसील पिथौरागढ़, जिला पिथौरागढ़

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में माननीय मु0मं0 घोषणा के अंतर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ़ के अंतर्गत जरदेवल मूलागाड़ केली (सेली) मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य (शून्य है0 आरक्षित वन भूमि, 0.90 है0 सिविल सोयम मे ,शून्य है0 वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 0.90 है0 वन भूमि का प्रा0 ख0 लो0 नि0 वि0 पिथौरागढ़ विभाग/संस्था के । में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत सल्नोड़ा... द्वारा दिनांक..20/01/21...को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई : कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी दिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु वेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम सल्नोड़ा ... के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रा0 ख0 लो0 नि0 वि0 पिथौरागढ़ प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0	ग्राम पंचायत विकास अधिकारी	ह0
ग्राम प्रधान	क्षेत्र सल्नोड़ा	सरपंच
मुहर सहित	वि0ख0- मूनाकोट, पिथौरागढ़	मुहर सहित
ग्राम प्रधान सल्नोड़ा विकास खण्ड मूनाकोट (पिथौरागढ़)		

(11)

प्रारुप–30.3

योजना का नाम :– मु0मं0 घोषणा के अंतर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ़ के अंतर्गत जाजरदेवल मूलागाड़ केली (सेली) मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र
ग्राम पंचायत का नाम ...सलगोड़ा (पिथौरागढ़)
तहसील पिथौरागढ़, जिला पिथौरागढ

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में माननीय मु0मं0 घोषणा के अंतर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ़ के अंतर्गत जरदेवल मूलागाड़ केली (सेली) मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य (शून्य हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.90 हे0 सिविल सोयम ।,शून्य हे0 वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 0.90 हे0 वन भूमि का प्रा0 ख0 लो0 नि0 वि0 पिथौरागढ़ विभाग/संस्था के में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ...सलगोड़ा.. द्वारा दिनांक...29/01/20..को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम सलगोड़ा...... के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रा0 ख0 लो0 नि0 वि0 पिथौरागढ़ प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/– प्रधान
ग्राम प्रधान
मुहर सहित
(ग्राम पंचायत सलगोड़ा, मूनाकोट (पिथौरागढ़))

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
क्षेत्र सलगोड़ा
विकासखण्ड मूनाकोट, पिथौरागढ़

ह0/–
सरपंच
मुहर सहित
(वन पंचायत सलगोड़ा)

प्रारुप--30.3

परियोजना का नाम :-- माननीय मु0मं0 घोषणा के अंतर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ़ के अंतर्गत

जाजरदेवल मूलागाड़ केली (सेली) मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण--पत्र

ग्राम पंचायत का नाम ...सिलमोड़ा...(तोहान)

तहसील पिथौरागढ़, जिला पिथौरागढ़

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में माननीय मु0मं0 घोषणा के अंतर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ़ के अंतर्गत जाजरदेवल मूलागाड़ केली (सेली) मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य (शून्य हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.90 हे0 सिविल सोयम भूमि ,शून्य हे0 वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 0.90 हे0 वन भूमि का **प्रा0 ख0 लो0 नि0 वि0 पिथौरागढ़** विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत सिलमोड़ा... द्वारा दिनांक 28/01/20.....को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ----तोहान........ के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि **प्रा0 ख0 लो0 नि0 वि0 पिथौरागढ़** प्रयोक्ता एजेंसी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/--
ग्राम सचिव
मुहर सहित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
वि0 ख0 · बीसाबजेड़
विकास खण्ड -- मूनाकोट
जिला पिथौरागढ़

ह0/--
प्रधान
ग्राम प्रधान/सरपंच पंचायत-सिलमोड़ा
मुहर सहित खण्ड मूनाकोट (पिथौरागढ़)

परियोजना का नाम:– माननीय मु०मं० घोषणा के अंतर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ़ के अंतर्गत जाजरदेवल मूलागाड़ केली (सेलीं) मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण का 10 वर्षीय प्राक्कलन मय मानचित्र

क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना के साथ संलग्न किया जाना है ।

1 है0 से कम भूमि प्रभावित होने के कारण लागू नही है।

ह0/–
प्रयोक्ता एजेन्सी

ह0/–
प्रभागीय वनाधिकारी

सहायक अभियन्ता
तीय खण्ड लो. नि. वि.
पिथौरागढ़

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
पिथौरागढ़

प्रभागीय वनाधिकारी
पिथौरागढ़ वन प्रभाग
पिथौरागढ़

वन क्षेत्राधिकारी
पिथौरागढ़

प्रारुप–43

परियोजना का नामः– माननीय मु0मं0 घोषणा के अंतर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ़ के अंतर्गत जाजरदेवल मूलागाड़ केली (सेली) मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

<u>क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण–पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित शून्य स्थल वृक्षारोपण हेतु ~~सर्वदा उपयुक्त है।~~ NIL

ह0/ ~~प्रभागीय वन अधिकारी~~
प्रभागीय वनाधिकारी
पिथौरागढ़ वन प्रभाग
पिथौरागढ़

वन क्षेत्राधिकारी
पिथौरागढ़

प्रारुप–26

परियोजना का नाम:– :– माननीय मु0मं0 घोषणा के अंतर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ़ के अंतर्गत जाजरदेवल मूलागाड़ केली (सेली) मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

(परियोजना के राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य के अन्तर्गत प्रस्तावित होने अथवा राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमा के 10.00 किमी0 की परिधि के अन्तर्गत होने की दशा में लागू)

10.00 कि0मी0 की परिधि के अन्तगर्त न होने के कारण लागू नही है।

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो. नि. वि.
पिथौरागढ़

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
पिथौरागढ़

प्रारुप–27

परियोजना का नाम:– माननीय मु0मं0 घोषणा के अंतर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ़ के अंतर्गत जाजरदेवल मूलागाड़ केली (सेली) मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

(परियोजना के राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य के अन्तर्गत प्रस्तावित होने की दशा में भारतीय वन्य जीव परिषद एवं माननीय उच्चतम न्यायालय की अनुमति)

(नोट:–लागू होने की दशा में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपरोक्तानुसार भारतीय वन्य जीव परिषद एवं माननीय उच्चतम न्यायालय की अनुमति प्राप्त कर प्रस्ताव में संलग्न की जाय।)

लागू नही है।

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो. नि. वि.
पिथौरागढ़

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
पिथौरागढ़

भूगर्भीय निरीक्षण आख्या

भूगर्भीय निरीक्षण आख्या जी0 एस0 –
01 / सड़क सरेखण / पी.डब्लू.डी. पिथौरागढ़ / 2019

जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ़ में मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 2234 / 2015 के अन्तर्गत जाजर देवल मूलागाड़ केली (सेली) मोटर मार्ग, लम्बाई 04 किमी0, सड़क सरेखण की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या

जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र पिथौरागढ़ में मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 2234/2015 के अन्तर्गत जाजर देवल मूलागाड़ के (सेली) मोटर मार्ग, लम्बाई 04 किमी0, सड़क समरेखण की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या

1– प्रस्तावना: प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग पिथौरागढ़ को उक्त मार्ग का निर्माण क राज्य योजना के अन्तर्गत स्वीकृत हुआ है। अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग पिथौरागढ़ अनुरोध पर स्थल निरीक्षण दिनांक 06.01.2019 को श्री हरीश बथ्याल सहायक अभियन्ता एवं मनीष पंत कनिष्ठ अभियन्ता की उपस्थिति में अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया। प्रस्तावित समरेखन अध्ययन भू–गर्भिय स्थिति, आकृति एवं पर्यावरणीय पारिस्थितिकी के अध्ययन हेतु किया गया, त सड़क निर्माण हेतु आवश्यक सुझाव दिये जा सके।

2– स्थिति: यह समरेखन पिथौरागढ़ धारचूला मोटर मार्ग के किमी0 7 से प्रारम्भ होता है र गढ़ान तक जाता है।

3– भूगर्भीय स्थिति: यह सड़क सरेखण भीतरी लेसर हिमालय में अन्तर्गत पिथौरागढ़ जन में प्रस्तावित है। यह समरेखण पिथौरागढ़ कैल्क जोन के सोर स्लेट समूह के स्लेट एवं डोलोमा चूना प्रस्तर से होकर गुजरता है। इन चट्टानों में मुख्य रूप से संधि समुच्चय मिलते है। चट्टानों में किया गया अध्ययन इस प्रकार है।

1– 070–250/ उत्तर उत्तर पश्चिम/20^{0}	नति
2– 085–265/ दक्षिण दक्षिण पूर्व/55^{0}	नति
3– 075–255/ उत्तर उत्तर पश्चिम/30^{0}	नति
4– 080–260/ उत्तर उत्तर पश्चिम/35^{0}	नति
5– 110–310/ उत्तर उत्तर पूर्व/40^{0}	नति
6– 115–315/ उत्तर उत्तर पूर्व/35^{0}	नति
7– 085–265/ उत्तर उत्तर पश्चिम/35^{0}	नति
8– 070–250/ उत्तर उत्तर पश्चिम/20^{0}	ज्वाइन्ट
9– 065–245/ दक्षिण दक्षिण पूर्व /65^{0}	ज्वाइन्ट
10–115–295/ उत्तर उत्तर पूर्व/60^{0}	ज्वाइन्ट
11– 105–285/ उत्तर उत्तर पूर्व/40^{0}	ज्वाइन्ट

इस सरेखन में भूगर्भीय विवर्तनिक क्रम निम्नवत है।

मिट्टी की परत

स्लेट

डोलोमाइटी चूना प्रस्तर

4— स्थल वर्णन: प्रस्तावित मोटर मार्ग पिथौरागढ़ धारचूला मोटर मार्ग के किमी0 07 से प्रारम्भ होता है तथा गढ़ान तक जाता है। इस सड़क सरेखण में पहाड़ का ढलान सामान्य से मध्यम के बीच है तथा कहीं—कहीं पर तीक्ष्ण है। प्रस्तावित सड़क में पिथौरागढ़ कैल्क जोन के सोर स्लेट की शैलें विद्यमान है। डोलोमाइटी चूना प्रस्तर में पतली परत से लेकर मोटे संस्तर तक विद्यमान है। कहीं—कहीं स्लेट फाइलाइट के साथ अन्तरासंस्तरित है। स्लेट प्रस्तर में स्लेटी विदलन अच्छी तरह विकसित है। फाइलाइट काले एवं भूरे रंग का है। इस मार्ग में 06 एच0पी0 बैंड प्रस्तावित है। इस मार्ग में 04 सूखे/बरसाती नाले तथा 02 चिरस्थाई नाले है। इसमें नाम भूमि पड़ता है। समरेखन का अधिकतम ग्रेडियन्ट 1:17 है।

5— स्थाईत्व का विचार: इस समरेखन की स्थल—संरचना व बनावट, स्थल वर्णन, भूगर्भीय, भूकम्पीय एवं पर्यावरणीय आदि परिस्थितियों को देखते हुए इस भाग में मार्ग निर्माण हेतु निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार करना आवश्यक है:—

(1) यह सरेखण लेसर हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में है।

(2) भूकम्पीय दृष्टि से यह भू—भाग जोन—5 में है।

(3) इसमें 02 सूखे/बरसाती नाले तथा 02 चिरस्थाई नाले है।

(4) समरेखन में 06 एच0पी0 बैण्ड प्रस्तावित है।

(5) इसमें 03 ग्राम आते है।

(6) सरेखण वन भूमि एवं कृर्षि भूमि दोनो से होकर गुजरता है।

(7) सरेखण का अधिकतम ग्रैडिएन्ट 1:17 है।

(8) सरेखण सामान्य से मध्यम तथा कहीं कही पर तीक्ष्ण पहाड़ी ढलान पर प्रस्तावित है।

(9) सड़क निर्माण के समय पर्यावरण पर ध्यान देना होगा।

6— सुझाव: इस सरेखण की स्थल संरचना व बनावट, स्थल वर्णन, स्थाईत्व का विचार, भूगर्भीय, भूकम्पीय एवं पर्यावरणीय आदि परिस्थितियों को देखते हुए इस भू–भाग में मार्ग निर्माण हेतु निम्नलिखित सुझाव दिए जाते है ।

(1) सूखे नालों पर स्कपर / डबल स्कपर / कल्वर्ट / काजवे / पुल का निर्माण किया जाए तथा चिरस्थाई नालों पर मजबूत पुल का निर्माण किया जाए।

(2) पहाड़ी की ओर नाली का निर्माण किया जाय।

(3) मलवा स्खलन / पात एवं गॉव वाले भाग में ब्रेस्ट / रिटेनिंग वाल का आवश्यकतानुसार निर्माण किया जाय।

(4) मोटर मार्ग के निर्माण के समय गॉव वाले भाग में विस्फोटक सामग्री का उपयोग न किया जाय।

(5) मोटर मार्ग के निर्माण के समय भूकम्पीय मानकों का अनुपालन किया जाय।

(6) पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए मार्ग का निर्माण किया जाय।

(7) पर्वतीय क्षेत्रों में बनने वाले मार्गो के मानकों के अनुरूप उपाय किए जाय।

(8) निर्माण के समय कृषि भूमि के ऊपरी मिट्‌टी की परत को बरबादी से रोका जाय।

(9) मिट्‌टी / मलवा वाले भाग में मार्ग के वाह्य भाग को उचा रखा जाय ताकि वर्षा के दिनों में पानी मार्ग को पार कर न बहे जिससे मार्ग यथावत बना रहे।

(10) अन्य आवश्यक उपाय जो मार्ग निर्माण में आवश्यक हो किए जाय।

7— निष्कर्ष: उपरोक्त वर्णित बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित मोटर मार्ग का निर्माण करना उपयुक्त प्रतीत होता है।

टिप्पणी: उपरोक्त मार्ग के सरेखण के निरीक्षण के समय उपस्थित अधिकारियों से विस्तृत में विचार विमर्श किया गया ।

Singh

(डा0 आर0 ए0 सिंह)
एसोसिएट प्रोफेसर – भूविज्ञान
एल0 एस0 एम0 रा0 स्ना0 म0 विद्यालय
पिथौरागढ़, उत्तराखण्ड
Dr. R. A. Singh
Associate Professor (Geology)
L.S.M. Govt. P.G. College

परियोजना का नाम:– माननीय मु0मं0 घोषणा के अंतर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ़ के अंतर्गत जाजरदेवल मूलागाड़ केली (सेली) मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

Task Force Certificate

(i) Lay out of the Land-be followed as far as possible.

(ii) Heavy cutting/filling be avoided-as far as possible. The technology of cut and fill method is to be adopted. Steep hill slopes also to be avoided.

(iii) Unstable/slide-prone areas to be avoided. For identifying such areas the advice of Geotechnical engineers and geologists to be taken during the survey for alignment.

(iv) Comparison of various possible alignments with reference to erosion potential be made and the alignment involving minimum erosion risks be preferred.

Apart from the stage of planning the road alignment, effective steps are also required to be taken by ground engineer during the process of road construction for minimized ecological disturbance to the hill roads Broadly the measures to be taken have been identified as :-

(i) Cut and fill method to be adopted while excavating for road formation and heavy earth cutting is to be avoided Box cutting is to be avoided to the extent possible.

(ii) Blasting by explosives is to be restricted to the minimum. Lay out of holes to be drilled for blasting is to be planned keeping in view the line of least resistance and the existence of joints Controlled blasting should be repeated using low charge and care be taken to avoid activating slide zones or widening fissures and cracks in road. Use of delay detonators in large scale basting work is to be made for anaoline dispersion of chock waves, so that minimum disturbance is caused to the rock stratum as a result of the blasting process.

(iii) All cut slopes, unusable hill side and slide prone erosion prone areas are to be provided with suitable correction measures by using one or the other of the techniques developed by CRRI. Several techniques have been sponsored by CRRI. like simple vegetative turning, bitumen muck treatment and slide treatment by jute netting coir netting of these simple vegetative turning seems to be the most appropriate preventive measure in many situations. This should be established in the denuded slopes immediately after the excavation is made.

(iv) Adequate drainage measures and protective structures like intercepting catch water drains, longitudinal drains/culverts, breast walls, retaining walls are to be provided for purpose of establishing the slips Growth vegetative cover is to be stimulated in the disturbed hill slops above the road level by planting suitable fast growing shrubs and plants. In

(v) Over the past few years the roads wing of the Ministry of Shipping and transport has issued instruction laying down broad guidelines and check list of the preparation of road construction projects which provide an inbuilt mechanism of tackling land slides/erosion control for the guidance and follow up action by engineers of state 'PWD' Border Roads Organization and others engaged in construction of hill roads. these should be observed.

प्रमाणित किया जाता है कि योजना आयोग द्वारा गठित टास्क फोर्स द्वारा प्रदत्त उक्त संस्तुतियाँ का परियोजना के निर्माण के दौरान अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा हैं।

ह0/–
प्रयोक्ता एजेन्सी

प्रारुप–36

परियोजना का नामः– माननीय मु0मं0 घोषणा के अंतर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ़ के अंतर्गत जाजरदेवल मूलागाड़ केली (सेली) मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

मानक शर्तों का मान्य होने का प्रमाण–पत्र

मानक शर्तें

1. वन भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसकी वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह पूर्व की भाँति रक्षित या आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
2. प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा व अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा।
3. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं किया जायेगा।
4. वन भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया गया है कि आवेदित भूमि न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
5. प्रयोक्ता एजेन्सी, उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायेंगे और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिकर का भुगतान प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी सहमत है।
6. परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित भूमि का सीमांकन प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की देख–रेख में किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में बनाये गये मुनारों का रख–रखाव किया जायेगा।
7. हस्तान्तरित वन भूमि पर वन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर प्रयोक्ता एजेन्सी को कोई आपत्ति नहीं होगी।
8. बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्छादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथासम्भव प्रस्तावित न किया जाय। केवल अपरिहार्य करणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षतिपूर्ति एवं वन्य जन्तुओं के स्वछन्द विचरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।
9. सिंचाई विभाग/जल निगम द्वारा वन विभाग की नर्सरीयों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों को निःशुल्क जल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
10. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा हस्तान्तरित वन भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा अन्य विभाग संस्था या व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित करने पर वन भूमि स्वतः किसी प्रतिकर के भुगतान किये बिना वन विभाग को वापस हो जायेगी। वन भूमि की आवश्यकता प्रयोक्ता एजेन्सी न होने पर हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि स्वतः बिना किसी प्रतिकर भुगतान के वन विभाग को प्राप्त हो जायेगी।
11. सड़क निर्माण के प्रस्तावों पर संरेखण तय करते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श लो0नि0वि0 द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0 को सम्बोधित पत्र संख्या 608 सी0 दिनांक 10–2–82 में निहित आदेशों का पालन भी लो0नि0वि0 द्वारा किया जायेगा। वन भूमि पर अश्वमार्ग बनाना अथवा वन मार्गों का सुदृढ़ीकरण/चौड़ीकरण कार्य करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्वीकृति प्राप्त की जानी अनिवार्य है।
12. प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा वर्तमान बाजार दर के अनुसार राज्य सरकार के पक्ष में जमा कराया जायेगा।
13. वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग, उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा किया जायेगा।
14. हस्तान्तरित भूमि पर पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकार में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा समतुल्य गैर वानिकी भूमि उपलब्ध न होने पर प्रस्तावित भूमि के दुगने गैर वानिकी क्षेत्रफल में वृक्षारोपण तथा 3 वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा तय किया जाय का भुगतान प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन विभाग किया जायेगा। 1000 मीटर एवं 30 डिग्री से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन भी निषिद्ध है, इसी प्रकार बांज के पेड़ों पर पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण सम्बन्धित वन संरक्षक स्तर पर ही होगा।

(6)

15. वन भूमि पर प्रस्तावित विद्युत पारेषण लाईन के कोरिडोर के नीचे यथासम्भव पेड़ों का पातन नहीं किया जायेगा व पारेषण लाईन के खम्भों को ऊँचा कर अधिक से अधिक संख्या में पेड़ों को बचाया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ों का पातन अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी।
16. यदि नहर आदि निर्माण में भू–संरक्षण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पट्टीयों को पक्का करना आवश्यक समझा जाता है, तो प्रयोक्ता एजेन्सी उक्त कार्य को स्वयं के व्यय से करायेगा।
17. उपरोक्त मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्तें लगाई जाती हैं, तो प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उसका पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
18. वन भूमि का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाय, जब उक्त शर्तों का पूरा अनुपालन प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा किया गया हो अथवा सक्षम स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाय।

प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग उत्तराखण्ड शासन तथा भारत सरकार द्वारा लगाई गई शर्तें प्रयोक्ता एजेन्सी को मान्य है।

ह0/
प्रयोक्ता एजेंसी

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो. नि. वि.
पिथौरागढ़

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
पिथौरागढ़

प्रारूप–34

परियोजना का नाम:— माननीय मु0मं0 घोषणा के अंतर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ़ के अंतर्गत जाजरदेवल मूलागाड़ केली (सेली) मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

<u>भू–वैज्ञानिक की संस्तुतियों/सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण–पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु भू–वैज्ञानिक द्वारा दिये गये सुझावों/संस्तुतियों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

ह0/–
(प्रयोक्ता एजेन्सी)

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो. नि. वि.
पिथौरागढ़

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
पिथौरागढ़

6

प्रारुप—33

परियोजना का नामः— माननीय मु0मं0 घोषणा के अंतर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ़ के अंतर्गत जाजरदेवल मूलागाड़ केली (सैली) मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

वन्य जीव/वनस्पतियों को क्षति न पहुँचायें जाने का प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण कार्य/रख—रखाव के दौरान वन्य जीवों/स्थानीय वनस्पतियों को कोई नुकसान नही पहुँचाया जायेगा।

ह0/
प्रयोक्ता एजेन्सी

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो. नि. वि.
पिथौरागढ़

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
पिथौरागढ़

(69)

प्रारुप–39

परियोजना का नामः– माननीय मु0मं0 घोषणा के अंतर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ़ के अंतर्गत जाजरदेवल मूलागाड़ केली (सेली) मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

परियोजना में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी का तेल/रसोई गैस उपलब्ध कराये जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना निर्माण कार्य के दौरान निर्माण कार्य में कार्यरत श्रमिकों/कर्मचारियों को प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा मिट्टी का तेल/रसोई गैस उपलब्ध करायी जायेगी।

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो. नि. वि.
पिथौरागढ़

ह0/
प्रयोक्ता एजेन्सी
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
पिथौरागढ़

प्रारुप–51

परियोजना का नामः– माननीय मु0मं0 घोषणा के अंतर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ़ के अंतर्गत जाजरदेवल मूलागाड़ केली (सैली) मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

एन0पी0वी0 की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा0 उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में कोई बढोतरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग को यथासमय कर दिया जायेगा।

ह0/–
प्रयोक्ता एजेन्सी

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
पिथौरागढ़

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो. नि. वि.
पिथौरागढ़

प्रपत्र 2.11

परियोजना का नामः– माननीय मु0मं0 घोषणा के अंतर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ़ के अंतर्गत जाजरदेवल मूलागाड़ कैली (सेली) मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

आर0सी0सी0 पीलरों की धनराशि को वहन काने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना के निर्माण में आर0सी0सी0 पीलरों की धनराशि लोक निर्माण विभाग द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी जाएगी।

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो. नि. वि.
पिथौरागढ़,
Joshi

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
पिथौरागढ़